International Journal of Humanities, Social Sciences and Literary Research
(An International Peer-Reviewed (Refereed) Journal)
Website: www.ijhslr.org/
E-mail: editorinchief@ijhslr.org
ISSN (Online): 3139-3225

नारीवादी आन्दोलन एवं उत्तर आधुनिक नारी

प्रोफेसर शैफ़ाली सुमन

महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिकंदराराव हाथरस

Corresponding author e-mail* - sumanshaphali648@gmail.com

Received: 16 April 2026, Revised: 24 May 2026, Accepted: 15 June 2026, Available Online: 30 June 2026

https://doi.org/10.5281/zenodo.21725593

नारी प्रकृति की श्रेष्ठ कृति है यह तथ्य तब वास्तविक हो जाता है जब वह समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी भूमिका निभाते हुए त्याग संयम समर्पण प्रेम नम्रता दयालुता के गुणों को आत्मसात करती हुई परिवार रूपी पौधे को सींच कर वृक्षरूपी आकार देती है। यद्यपि यह भी समाज की वास्तविकता है कि प्राचीन काल से ही स्त्रियों को कोमल समझ कर घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया, वहीं पुरुष को अक्रामक शक्तिशाली साबित करने की सदा पुरजोर कोशिश की गई। पुरुष रक्षक प्रहरी, योद्धा की भूमिका निभाता आया था। पूंजीवाद अथवा संपत्ति का एकत्रीकरण भी सदियों पूर्व आरंभ हुआ, नारी को पुरुष के आधीन कर उसे उसकी दया पर निर्भर बना दिया गया। सभ्यता संस्कृति आदर्श लोकाचार प्रथा परंपराओं नियमों का सुदृढ़ीकरण हुआ और विलासिता भी खूब फली फूली। पुरुषों विजेता, विजयी, बलशाली कहा गया और पुरुष ने अपने दंभ अहंकार, शौर्य व सत्ता के मद में चूर स्त्री को मात्र भोग्या मादा बना कर रखा, उसे सदियों तक अनंत यातनायें, भेदभाव, शोषण और पीड़ा को सहना पड़ा। युद्धों की विभीषिका में सदैव नारी जली।

फ्रांस की गौरवमयी क्रांति के बाद स्त्रियों में चेतना जागृत हुई। मानवतावाद का उदय हुआ तथा उन्नीसवीं शताब्दी तक आते आते स्त्रियों की दशाओं में परिवर्तन हुआ, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ना प्रारंभ किया और स्त्री की शक्ति को सिद्ध किया। महिलाओं को सम्मान पूर्वक सुखद भयरहित जीवन जीने के लिए आन्दोलनों व संघर्ष करने पड़े हैं। अधिकार व समता आधारित समाज की स्थापना हेतु वह दशकों से अपनी आवाज उठाती आई है।

भारत में स्त्रियों की दशा में सकारात्मक परिवर्तन ब्रिटिश राज में आया जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया और 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित कराया। इसी प्रकार ईश्वर चन्द विद्यासागर ने बंगाल में बाल विधवाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनवाया। स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए सावित्री बाई फुले ने स्कूल कालिजों की स्थापना की, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए कठिन संघर्ष किया। उसी समय पण्डिता रमाबाई, दयानन्द सरस्वती, ज्योतिबा फुले सर सय्यद अहमद खां भीमराव अम्बेडकर ने स्त्रियों को अधिकार सम्पन्न करने की चेतना समाज में जगायी। इस जनजागरण में ब्रिटिश काल में आधुनिक संचार व तकनीकी उपकरणों जैसे प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ माइक्रोफोन का प्रयोग कर जनजागरूकता का प्रसार किया गया। उस समय समाज कट्टरपंथी थी और इन समाज सुधारकों को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा किन्तु उनके यह कार्य भारत को आधुनिक राष्ट्र बनाने में सहायक थे।

नारीवादी आन्दोलन की तह तक जाने से पहले हमे नारीवाद है क्या? की संकल्पना को समझना होगा। नारीवाद महिलाओं के सबलीकरण की अवधारणा है जिसमें स्त्री पुरुष समानता, समान अधिकार, सशक्तिकरण, पितृसत्ता का विरोध, शोषणकारी वंशगत ढाँचे में बदलाव और महिलाओं को सम्मान व शांतिपूर्वक भयरहित समाज में रहने की वकालत पर टिका है। नारीवाद नारी को शोषण से मुक्ति, बन्द दरवाजे खोल नवीन वैचारिकी, स्वतंत्रता, निर्भीकता, शक्ति सत्ता द्वारा महिला सशक्तिकरण की स्थापना पर आधारित है। नारीवाद सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, शैक्षिक उन्नति और समान अवसर पर बल देता है। नारीवाद के अनुसार समाज का पितृसत्तात्मक पुरुष सत्तात्मक ढांचा स्त्री की दयनीय दशा का उत्तरदायी है। पितृसत्तात्मक ढाँचे में कन्याओं के साथ भेदभाव, अन्याय होता है। इसमें महिलायें हाशिए पर फेंक दी जाती हैं। नारीवाद का उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक दृष्टि से स्त्री सहभागिता व उन्नयन करना है। जिसमें जन-चेतना, जनजागरण व शैक्षिक समानता व उपलब्धि सहायक है।

भारत में नारीवादी आन्दोलन

भारत में नारीवादी आन्दोलन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। जब समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, दासी प्रथा, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, बेमेल विवाह, कुलीन विवाह, संपत्ति अधिकार से विहीन, शिक्षा से वंचित नारी थी। अंग्रेजों के शासन काल में स्त्रियों की खराब दशा को सुधारने के अनेक प्रयास किए गए। उस समय के अग्रणी विचारक और क्रांतिकारी सुभाष चन्द्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, गाँधी व अम्बेडकर, कस्तूरबा गाँधी, एनी बेसेन्ट, सरोजनी नायडू आदि थे।

भारत में तात्कालीन आन्दोलनों का उद्देश्य समाज में व्याप्त स्त्री शोषण करने वाली कुप्रथाओं, कुरीतियों का विरोध कर स्त्री की दशा सुधारना था और साथ ही स्त्री शिक्षा, उनकी राजनीतिक सामाजिक सहभागिता को बढ़ाना था। जिससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर भाग लिया और आजादी की प्रथम लड़ाई में अपना योगदान दिया। नारी सुधार का प्रथम आंदोलन (19वीं सदी - 20वीं सदी की शुरुआत) मुख्य रूप से पुरुष समाज सुधारकों ने चलाया जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्या सागर, ज्योतिबा फुले आदि थे। जिन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। इसके द्वितीय चरण के आन्दोलन स्वतंत्रता संघर्ष के साथ चले जिनका काल 1915-1947 तक है। यह वह समय था जब विचारक क्रान्तिकारियों के आह्वान पर स्त्रियाँ घर की चार दीवारी से निकल कर स्वतंत्रता संग्राम की बलिवेदी चढ़ने लगी। 1919 में रौलेट एक्ट के अधिनियम के विरुद्ध अखिल भारतीय सत्याग्रह में बड़ी संख्या में स्त्रियों

ने भाग लिया, जुलूस निकाले, खादी का प्रयोग, स्वदेशी अपनाओ विदेशी वस्त्र हटाओ का नारा दिया और वह जेल भी गयी। 1930 में दांडी मार्च में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में स्त्रियों ने सक्रिय भागीदारी की। 1931 में सरोजिनी नायडू ने भारत की अधिकारिक महिला प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। भारतीय महिला संघ (1917) जैसे संगठनों ने महिलाओं के मताधिकार और समान अधिकारों की मांग की। सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज में महिलाओं के लिए रानी झाँसी रेजिमेन्ट बनाई गई जिसमें महिलाओं को नर्सिंग, समाज सेवा तथा हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। महिलाओं ने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आन्दोलन में भी भागीदारी निभाई।

1936 में गांधी जी ने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में आह्वान किया कि महिलाएं निर्भिकता दिखाते हुए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ें और राष्ट्र को अपनी सेवाएं दें। नमक सत्याग्रह व भारत छोड़ो आन्दोलनों में महिलाएँ सत्याग्रही बड़े पैमाने पर जेल गईं। इन आन्दोलनों से उनकी राजनीतिक सहभागिता बढ़ी और सामाजिक सामंतवादी सोच के विरुद्ध भी संघर्ष चलने लगा। इस समय अनेक महिला संगठन सामने अस्तित्व में आए और महिलाओं को कुछ स्वायत्तता प्राप्त हुई। 1930 के दशक के अन्त तथा 1940 के स्वतंत्रता आंदोलन की सहभागिता के परिणामस्वरूप भारतीय स्त्रियों को मतदान का अधिकार तथा पुरुषों के समकक्ष समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। अब महिलायें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लुत्फ उठाने लगीं। उनकी दशा में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ। इस बीच सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा हेतु सतत प्रयास करती रहीं, उन्होंने बालिकाओं के लिए अनेक पाठशालाएं स्थापित कीं।

इसी दौरान पंडिता रमाबाई बाल विधवा व विधवाओं की दयनीय स्थिति को लेकर सुधार के लगातार प्रयास करती रहीं, उन्होंने कलकत्ता में महिलाओं की शोचनीय अवस्था को दूर करने का बीड़ा उठाया। 1881 ई० में आर्य महिला समाज की स्थापना की और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। अन्य जाति के वकील से विवाह करने के कारण उन्हें कट्टरपंथियों की निंदा का पात्र होना पड़ा, उन्होंने जाति-पाँति के विरुद्ध भी आवाज उठायी। उन्होंने विधवाओं के लिए शारदा सदन व कृपा सदन नामक महिला आश्रम की स्थापना की। उन्होंने मुक्ति मिशन भी चलाया, इसमें समाज द्वारा त्याग दी गयी महिलाओं और बच्चों को आश्रय दिया जाता था।

इसी क्रम में एक अन्य महिला विद्यागौरी नीलकंठ ने अपना पूरा जीवन महिलाओं के उत्थान को समर्पित किया। उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अहमदाबाद में एक शाखा स्थापित की। वे कई शैक्षणिक संस्थाओं की सदस्य रहीं। वे वैधव्य, शादी के कारण विद्यालय छोड़ देने वाली महिलाओं को शिक्षा प्रदान करती थीं। धीरे-धीरे भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार और समाज में बदलाव आया। इनमें अग्रणी भूमिका निभाने वाले संगठन थे 1917 ई० में मार्गरिट कजिंस का विमेन्स इंडिया एसोसिएशन, 1925 में नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन वीमेन्स, 1927 ई० में अखिल भारतीय महिला परिषद, 1934 ई० में ज्योति संघ संगठनों ने महिला अधिकार, शिक्षा आदि की आवाज बुलन्द की। 1917 ई० में महिलाओं को मताधिकार की मांग की गई जिसका कांग्रेस ने समर्थन किया। 1917 में ही एनी बेसेंट, मार्गरिट कजिन्स और मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने मद्रास में महिला भारतीय संघ की स्थापना की। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए मताधिकार और शिक्षा को बढ़ावा देना था। इन संगठनों के मुख्य उद्देश्य : महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह का विरोध, विधवाओं का पुनर्विवाह और सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए मताधिकार, पर्दा प्रथा का उन्मूलन थे। इसी प्रकार बंगाल महिला शिक्षा लीग 1902 में अबला बोस, मद्रास महिला भारतीय संघ 1917 आनंदीबाई जोशी, बी. रामचंद्राव, अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन 1914 में बेगम जहाँआरा शाहनवाज के द्वारा चलाया गया। इन सभी महिला संगठनों में भारतीय महिला संघ मद्रास प्रमुख रूप से सक्रिय रहा था।

स्वतन्त्र भारत में नारी आन्दोलन

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय समाज में स्त्रियों के सशक्तिकरण हेतु भारत के संविधान द्वारा अधिकार प्रदान किए गए। समाज में स्त्री पुरुष समानता व भयमुक्त वातावरण का निर्माण करने में संविधान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध (अनुच्छेद 15), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39d), और पंचायतों में आरक्षण (अनुच्छेद 243) शामिल है। अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) सरकारी नौकरियों में समान अवसर, शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23), महिलाओं की खरीद-फरोख्त और बेगार पर रोक। राजनीतिक अधिकार (अनुच्छेद 243-D) पंचायतों और नगर पालिकाओं में कम से कम एक तिहाई सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण। इसके अतिरिक्त मातृत्व लाभ अधिनियम: कामगार महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सवेतन अवकाश, संपत्ति में अधिकार महिलाओं को पिता की संपत्ति में समान अधिकार, घरेलू हिंसा से सुरक्षा आदि। भारत का संविधान महिलाओं को अधिकार व समानता, समान अवसर, भयमुक्त वातावरण, सम्मान, सुरक्षा के प्रावधानों से परंपरावादी रूढ़िवादी कट्टरवादी समाज जो पितृसत्तात्मक है को परिवर्तन की ओर ले जाता है। संविधान एक ऐसा ग्रन्थ है जो सशक्त सबल भयमुक्त नारी जीवन का आह्वान करता है और नारी आन्दोलनों को दिशा प्रदान करता है।

भारत एक लोकतान्त्रिक कल्याणकारी देश है। इसी सिद्धांत के दृष्टिगत भारत सरकार ने महिला कल्याण को प्राथमिकता दी। 1976 ई० में पूरे देश में महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय योजना प्रारंभ की गई। यह योजना महिला कल्याण तथा विकास की नीतियों व कार्यक्रमों को बनाने के लिए निर्देश देती है। महिला एवं बाल विकास विभाग में नारी ब्यूरो: नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा समन्वय की राष्ट्रीय संस्था है। इसके द्वारा महिलाओं में आर्थिक उन्नति और महिलाओं की आय में वृद्धि करने के कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। महिला आन्दोलनों की प्रगति के इस स्तर पर हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू दत्तक तथा महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने हेतु अनेक महिला संगठनों का निर्माण हुआ जिसमें महिलाएं पिता, पति की संपत्ति में अधिकार, जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष करने लगी थी। नारी आन्दोलन के इस चरण में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1976, बाल विवाह अवरोधक (संशोधन) अधिनियम 1978, अनैतिक व्यापार (निवारण) कानून 1986, दहेज निषेध (संशोधन) कानून 1986, महिला का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम 1986, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 तथा 1992-93 के 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन जैसे विधायी व वैधानिक उपायों से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ।

नारी मुक्ति आन्दोलन

महिलाओं को पितृसत्तात्मक और सामंतवादी पारंपरिक ढाँचे से मुक्ति और समानता का वातावरण तैयार करने में अनेक संगठनों का निर्माण हुआ, जिसमें अग्रणी भूमिका निभाई महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद (NCWI), अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (AIWC)। यह सभी संगठन महिलाओं को स्वतन्त्रता, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, छेड़छाड़, बलात्कार, हत्या, भ्रूण हत्या आदि का विरोध, महिला साक्षरता पर बल व महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करते थें।

चार आन्दोलनों ने जमीनी स्तर पर नारीवादी आन्दोलन को मजबूत किया - ये थे महाराष्ट्र में शहादा आंदोलन जो जनवरी 1972 के आसपास शुरू हुआ। 1972 में इला भट्ट नामक गाँधीवादी समाजवादी नेता द्वारा अहमदाबाद में

'स्व-रोजगार महिला संघ' का गठन, सोशलिस्ट पार्टी के मृणाल गोरे तथा सी पी आई (एम) की अहिल्या रंगेंकर द्वारा गठित मूल्य वृद्धि विरोधी मोर्चा तथा नव निर्माण समिति का गठन था। ये आन्दोलन बड़ी संख्या में महिलाओं को उनके हितों की रक्षा के लिए प्रेरित करने में सक्षम रहे।

महिलाओं की लामबन्द एकजुटता व संघर्ष को सफलता तब मिली जब संविधान में 73वां संशोधन पारित किया गया, जिसमें पंचायत में एक तिहाई सीटें एवं स्थानीय निकायों में नेतृत्व के पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। पंचायतों में महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करने से उनकी पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित हो गई।

नारी आन्दोलन ना सिर्फ शोषण व अन्याय के विरुद्ध लामबन्द थे बल्कि नारी की पर्यावरण के प्रति निष्ठा, पर्यावरण आधारित रोजगार के बचाव के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। चिपको आन्दोलन, दुनिया के शुरुआती पर्यावरण नारीवादी आन्दोलनों में से एक है जिसमें कटाई का विरोध करने के लिए पेड़ों से चिपकी पहाड़ी महिलाओं का संघर्ष दिखाई दिया। चिपको आन्दोलन का अर्थ- पेड़ों को काटे जाने के विरोध में उनकी रक्षा हेतु पेड़ों से चिपक जाना है ताकि उन्हे कटने से बचाया जा सके। यह आन्दोलन 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में (अब उत्तराखण्ड) में हुई थी यह एक अहिंसक आंदोलन था। इस आन्दोलन में उत्तराखण्ड की गौरा देवी एवं राजस्थान की अमृता देवी के अलावा कई महिलाओं का योगदान था। इनमे से गांधी जी की शिष्या मीरा बेन, सरला बेन, विमला बेन, हिमा देवी, गंगा देवी, इतवारी देवी, छमुन देवी के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार पर्यावरण प्रहरियों ने 1985 में हाइड्रो-बिजली उत्पादन के लिए नर्मदा पर बाँधों के निर्माण के खिलाफ विरोध शुरू जिसे 'नर्मदा बचाओ आन्दोलन' के नाम से जाना गया। इस आन्दोलन की अग्रणी नेतृत्व कारी नेता मेधा पाटकर रही जिन्हे अरुंधति राय, बाबा आमटे का समर्थन मिला। इस आन्दोलन के फलस्वरूप विश्व बैंक परियोजना से हट गया। इसके अतिरिक्त स्व-रोजगार महिला संघ ने महिला श्रमिकों के लिए कानूनी एवं सामाजिक सुरक्षा में सुधार की वकालत के लिए महिलाओ को एकजुट किया।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य आन्दोलन नारीवादी आन्दोलन

नारीवादी आन्दोलन के इस अवधि में सरकार ने स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के निर्माण एवं समर्थन में भारी निवेश किया। स्वयं सहायता समूह उन लोगों के अनौपचारिक संघ है जो अपनी जीवन स्थितियों में सुधार के तरीके खोजने के लिए महिलाओं को एकजुट करते है। ये समूह महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने और परिवार की आर्थिक उन्नति में सहायक होते है। यह आन्दोलन यह महिलाओ में आर्थिक कौशल, सृजनशीलता को बढ़ाते है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में लगभग 1.2 करोड़ स्वंय सहायता समूह है। भारतीय महिला आन्दोलन को उसकी जीवन्तता के लिए विश्व स्तर पर मान्यता मिली है।

नारीवादी आन्दोलन के इस चरण में सरकार द्वारा 2001 में महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति लागू की गयी। इस राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास तथा सशक्तिकरण सुनिश्चित करना तथा महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है ताकि वे जीवन के हर क्षेत्र में तथा गतिविधि में भागीदारी कर सकें।

विभिन्न मन्त्रालयों एवं राज्य सरकारों के कार्यक्रमों को मिलाकर महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से 8 मार्च 2010 को 'राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन' का एक नवीन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह समाज में परिवर्तन लाने का भी एक साधन बना। इस योजना को सफल बनाने के लिए एन.एम.ई.डब्ल्यू.

(NMEW) को विभिन्न मन्त्रालयों / विभागों के अन्तर-क्षेत्रीय सम्मेलन कराने का अधिकार दिया गया, ताकि महिलाओं को प्रभावित करने वाली सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक बाधाओं को पहचान कर उनका समाज से निराकरण किया जाए। सामाजिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण, लैंगिक समता, के कानूनों का क्रियान्वयन कराने का प्रयास कराया गया जिसमें मीडिया एवं जनसंचार के माध्यमों का भी सहारा लिया गया। विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्ति और महिलाओं के हित में कार्य करने वाले लोग महिला सशक्तिकरण मिशन के कार्य निदेशक एवं सदस्य है। राज्य सरकारों ने महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 2012 से 2015 तक की कार्ययोजना निर्मित की और एक नया माडल 'पूर्ण शक्ति केन्द्र' बनाया। यह केन्द्र देश के चयनित जिलों में विभिन्न सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं की सहायता के लिए समर्पित है। केन्द्रों में गाँव के समन्वयक 'हम सुनेंगे नारी की बात' के ध्येय के साथ महिलाओं तक अपनी बात पहुँचाते है।

इन केन्द्रों के कार्य हैं

1-महिलाओं को सभी सरकारी योजनाओं की सुचना देना ।

2- लक्षित आधी वाबदी का डेटाबेस तैयार करना ।

3-सम्बैधिक अधिकारों का डाटाबेस जागरूकता बढ़ाना ।

4-विभिन्न संसाधनों तक पहुँचने के लिए महिलाओं को संगठित करना ।

5-स्वास्थ्य शिक्षा जीवनयापन की सरकारी योजनायों को उपलब्ध करना ।

<u>भारत में वर्ष 2010-2025 तक नारीवादी आन्दोलन</u>

भारत में घटते लिंगानुपात, दहेज हत्याएं, छेड़छाड़, बलात्कार, घरेलू हिंसा, घरेलू कामगार स्त्रियों व बच्चियों के यौन शोषण की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अनेक सामाजिक व नारीवादी संगठनों, लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बिगड़ती स्थिति में सुधार के लिए आन्दोलन चलाए, प्रयास किए। इनमें से प्रमुख है -

1- निर्भया विरोध आन्दोलन (2012)

16 दिसंबर 2012 के निर्भया के सामूहिक बलात्कार की जघन्य घटना पर राष्ट्रव्यापी व्यापक विरोध प्रदर्शन, दोषियों को सजा दिलाने हेतु जगह जगह व दिल्ली में आन्दोलन किए गए। जिसके फलस्वरूप फास्टट्रैक कोर्ट का निर्माण हुआ, काफी बाद में दोषियों को सजा भी मिली।

2- MeToo अभियान (2017-18)

कार्यस्थलों पर यौन शोषण के खिलाफ ऑनलाईन आंदोलन चला, जिसमें अनेक महिलाओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करायी, चुप्पी तोड़ी खुल कर बोली। इसमें मीडिया कर्मी, फिल्म जगत से जुड़ी महिलायें व अन्य विभागों की महिलायें सामने आई और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण एक्ट 2013 को लागू किया गया।

शाहीन बाग और सीएए विरोधी आन्दोलन (2019-20)

इस आन्दोलन में मुस्लिम महिलाएं सम्मिलित थीं और देश भर की महिलाओं का उन्हें साथ मिला। इसकी शुरुआत 15 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की छात्राओं पर लाठी चार्ज के बाद हुई जिसको मुस्लिम महिलाओं द्वारा CAA और NRC भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षतावादी सिद्धांतों के विरुद्ध और भेदभाव पूर्ण और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के मद्देनजर चला रही थी। यह दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु में मुख्य रूप से चलाया गया।

किसान आन्दोलन (2020-2021)

किसान आन्दोलन में महिला किसानों, महिला सरपंचों, पंचायत अध्यक्षों आदि ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपनी कृषि समस्याओं को देश एवं सरकार के समक्ष रखा, अपनी मांगे प्रस्तुत की।

मणिपुर हिंसा विरोध (2023-24)

मणिपुर में महिलाओं के विरुद्ध सामूहिक जघन्य अपराध / बलात्कार व हिंसा के विरोध में राष्ट्रव्यापी मोमबत्ती मार्च किया गया। महिला संगठनों ने उक्त वीभत्स घटना का पुरजोर विरोध किया।

महिला सशक्तिकरण की सरकारी योजनाएं (2010-2025)

1- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015) - कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम व शिक्षा की प्रगति
2- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (2016) - गरीब महिलाओं को मुफ्त एल पी जी कनेक्शन
3- सुकन्या समृद्धि योजना (2015) - बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए बचत
4- महिला ई-हाट (2016) - महिला उद्यमियों के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग
5- मिशन शक्ति (2022-25) - संबल और सामर्थ्य किशोरियों, युवतियों को शोषण से बचाने की जन जागरूकता का कार्यक्रम
6- नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023-24) - संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण बिल पारित करना।

7- महिला शक्ति केन्द्र (2017) - ग्रामीण महिलाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना।

आधुनिक भारत में महिलाओं की चिंताजनक स्थिति व समाज के रूढ़िवादी कट्टरपंथी पितृसत्तात्मक / पुरुषवादी ढांचे में बदलाव हेतु अनेक नारीवादी लेखकों ने अपनी आवाज अपने लेखन के माध्यम से उठायी है। नारीवादी लेखक जिन्होंने नारी पीड़ा का वर्णन, उसको सशक्त करने के तरीकों पर बल दिया, वे है -

1- अरुंधति रॉय - सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर मुखर।
2- तस्लीमा नसरीन - धार्मिक पितृसत्ता के खिलाफ
3- कविता कृष्णन - यौन हिंसा और नारीवादी विमर्श
4- अनिता नायर - नारीवादी साहित्य और नारी की पहचान

5- नमिता गोखले - महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित कथा साहित्य

6- मुलमा बिनिता - दलित नारीवादी लेखिका

7- मैत्रेयी पुष्पा - नारी विमर्श की लेखिका

ये सभी आंदोलन और योजनाएं भारतीय महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने और सुरक्षा व सामाजिक बदलाव लाने में सहायक रहे हैं।

उत्तर आधुनिक नारी नारीवादी (Post Modern Women)

वर्तमान समय 21वीं शताब्दी और उत्तर आधुनिक काल है। इसी के अनुसार बदलते सामाजिक आर्थिक धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाएं परंपरागत भूमिकाओं को छोड़कर नेतृत्वपूर्ण, मुखर, बिंदास होकर शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के नए आयाम बना रही हैं। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, सुष्मिता सेन, नीना गुप्ता आदि उदाहरण हैं। नारी घर और दफ्तर में दोहरी भूमिकायें, दोहरे तिहरे कार्य करती है। स्त्री के पहनावे सोच में परिवर्तन व अभिव्यक्ति की आजादी का आनंद भी ले रही है। मीडिया आदि में वह अधिक मुखर है। उत्तर आधुनिक भारतीय नारी अपने निर्णय स्वंय लेती है, परिवार में निर्णायक की भूमिका व पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। पारंपरिक व आधुनिक मूल्यों में संतुलन बिठा आधुनिक जीवन शैली जीती है।

भारतीय महिलाओं ने परंपरागत ढांचे के विपरीत शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य, रोजगार, राजनीति, अध्यात्म के क्षेत्र में नारी को सुदृढ़ किया है। नारीवादी लेखक सिमोन द बोउआर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (द सेकेंड सेक्स 1949) में लिखा है - "स्त्री जन्म नहीं लेती, बल्कि बना दी जाती है।" यह पुस्तक नारीवादी विमर्श की सबसे उत्कृष्ट पुस्तक के रूप में स्वीकार की गई है। उनके अनुसार स्त्री को निर्णय लेने का अधिकार, अपनी पसन्द नापसन्द को अभिव्यक्ती व अपने अनुसार जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये। ऐसा करके वह अधिक स्थिरता और शांति से जी सकेंगी। समाज के द्वारा लादे गए असीमित कर्तव्यों के चक्रव्यूह से निकल सकेंगी। समाज के परंपरागत धार्मिक ढांचों को तोड़कर स्त्री आज नए कीर्तिमान रच रही है। पिता की मृत्यु पर चिता को मुखाग्नि दे रही है। ट्रक, टेम्पो बस ड्राईवर, कंडक्टर की नौकरी तो दूसरी और बिजनेस आइकन बन कॉर्पोरेट जगत में भी स्थान बना रही है। समाज की वर्जनाओं को भी तोड़ रही है। किन्तु फिर भी समाज में अराजकता, अनाचार स्त्री विरुद्ध हिंसा, महिला शक्ति बिंदासपन को चुनौती देना, ऑनर किलिंग आदि के कारण महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा को खतरा है जिससे महिलाएं संघर्ष कर रही है। मैथिलीशरण गुप्त ने अपने एक लेख में कहा है - "मानव समाज में नारी शब्द का अर्थ सामान्य न लिया जाये, उसका स्थान नर से कहीं बढ़ कर है। कोमलता दृढ़ता ही नहीं अपितु रूप आकार शरीर सौष्ठव जीवन यापन की विविध स्थितियों में नारी विधाता की सर्वोच्च कल्पना है।"

कृष्णा अग्निहोत्री - "आज नारी न बहन है न बेटी न पत्नि, न प्रेयसी, वह केवल भोग्या है।"

मृणाल पाण्डे - "समाज में स्त्रीत्व की मूल अवधारणा नकारात्मक है। लगभग सभी धार्मिक और दार्शनिक दायरे स्त्री को पुरुष के संदर्भ में एक अपूर्ण और सापेक्ष जीवन के रूप में देखा गया है।"

मैत्रेयी पुष्पा - "मनुष्य की मूलरूप स्त्री की नैसर्गिक प्रवृत्तियों को और पुरुष की स्वाभाविक वृत्तियों को समान रूप से देखना, दोनों की जरूरतों को समान महत्व देना, तथा दोनों में समान रूप से भागीदारी होना स्त्री विमर्श का लक्ष्य है।"

आधुनिक भारतीय नारी अन्याय नहीं सहती है और विषम परिस्थितियों का मुकाबला करती है, कानून का संरक्षण प्राप्त है। दिल्ली मुंबई की सड़कों पर महिलाएं आधी रात को भी कहीं जा सकती है। परंपरागत ढांचे का विरोध देखते हुए मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु ट्रिपल तलाक अधिनियम बना है। दिल्ली पुलिस की आई.पी.एस ऑफिसर किरण बेदी बंदियों को तिहाड़ जेल भेजती हैं और अपराधी को सजा दिलवा कर ही मानती हैं। महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म के पीछे समाज का रुढ़िवादी कट्टरपंथी सोच है जो महिलाओं को दबा ढंक कर चुप्पी साधने पर बल देती है। भारतीय समाज एक बन्द दरवाजा है जो स्त्रियों की स्वतंत्रता पर वर्जनाये लगाता है क्योंकि उसे पुरुष की अक्रामकता, कामुकता पर अंकुश कसना नहीं आया है। भारत में सैकड़ो धार्मिक आन्दोलन, सभायें, आचार्य हैं, आध्यात्म् का फैलाव है किन्तु फिर भी बढ़ती जनसंख्या के अनुसार पुरुषों के अहम अहंकार पुरुषत्व पर कोई नियंत्रण नहीं हुआ है जो अधिकतर बिंदास युवतियों को ललकारता व प्रहार करता दिखाई देता है। यद्यपि वर्तमान में आधुनिक नारी को अदालत, कानून एवं पुलिस संरक्षण दिया गया है।

आज भी परंपरागत समाज में सामाजिक ढांचे के विरुद्ध वर्जनाएं तोड़ने पर स्त्रियाँ दमित की जाती हैं। कम शिक्षित, अनपढ़ पुरुष और कभी अधिक शिक्षित पुरुषों द्वारा स्त्री दमन प्रचलन में है। स्त्रियों की सदियों से खराब व अधिकार विहीन सामाजिक दशा पर विचार करते हुए रेडिकल फेमिनिज्म कहता है - महिला की प्रमुख भूमिका, उनकी माता की भूमिका और बच्चों को प्रशिक्षण का मखौल उड़ाता है और उसे महिला की प्रगति के मार्ग में बाधा बताता है। इस सन्दर्भ में महिलावादी कहते है माँ होना किसी महिला की परिपूर्णता है। बच्चों का प्रशिक्षण सबसे चुनौती भरा कार्य है जिसे भारतीय महिला उम्र भर पूर्ण रूप से करती है वह परिवार प्रबंध में अपना सर्वस्व समर्पित करती है। और जिसके कारण उसकी क्षमताओं का विकास नहीं होता और परिवार को दिए गए कार्य और समय को गौर से नहीं देखा जाता उसका मजाक उड़ाया जाता है। महिला द्वारा परिवार प्रबन्धन में किये गए कार्य, कर्तव्य निर्वहन, समर्पण को आधुनिक नारी समझ रही है और समाज को समझा रही है कि स्त्री शिक्षित हो तो पीढ़ियाँ सँवर जाती है, समाज और संस्कृति को निरंतरता मिलती है। अतः स्त्री को समानता स्वतंत्रता, अवसर प्रदान किए जायें। उत्तर आधुनिक भारतीय नारी प्राचीन काल की अपेक्षा आधुनिक काल में आंनद से जीती है और स्त्री पुरुष समानता का लक्ष्य भी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान में लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1- सिमोन द बोउवर - द सेकेंड सेक्स
2- नारी चेतना और कृष्णा सोबती के उपन्यास - डॉ गीता सोलंकी पृ० सं० 40
3- भारतीय नारी दशा-दिशा - आशारानी व्होरा पृ० स० 171
4- राम आहूजा - वॉयलेन्स अगेन्स्ट वूमेन रावत पब्लिकेशन
5- देवकी जैन - दि सेल्फ एम्पलॉयड वीमेन्स एसोसिएसन, हॉव पत्रिका फरवरी अंक पृष्ठ 14
6- आभा चौहान - "ट्राइबल वूमन एण्ड सोशल चेन्जेस इन इंडिया" इंदौर पब्लिकेशंस पृ० 36-38